दिनांक 10.10.2019	
प्रेस विज्ञप्ति 14/19	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में साइबर अपराध एवं सोशल मीडिया के दुरूपयोग पर नियंत्रण हेतु थाना/जनपद/जोन एवं मुख्यालय स्तर पर साइबर सेल के गठन के दिये निर्देश

श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0 को साइबर क्राइम यथाः–क्रेटिड कार्ड फ्राड, एटीएम/डेबिट कार्ड फ्राड, इन्टरनेट बैकिंग फ्राड, इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर फ्रॉड, मनी लांड्रिंग, ऑन लाइन शापिंग फ्रॉड, कम्प्यूटीकृत बैंक खातों में हेराफेरी कर धन के गबन व राज्य सरकार एवं भारत सरकार के महत्वपूर्ण विभागों एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की बेवसाइट को हैक करना, इन्टरनेट पर अश्लील सामग्री की रिकार्ड़िग, संग्रहण एवं आदान–प्रदान आदि जैसे अपराधों की रोकथाम करने तथा जॉच/विवेचनाओं का सामयिक निस्तारण करके अपराधियों को दंण्डित कराये जाने के दृष्टिगत साईबर क्राइम के पंजीकरण, विवेचना, पर्यवेक्षण, अभियोजन एवं मा0न्यायालय में विचाराण हेतु थाना/जनपद/जोन स्तर पर निम्नांकित व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये :–

थाना स्तर पर Cyber Crime Team (CCT)

थाना स्तर पर साइबर क्राइम टीम(CCT)द्वारा एटीएम फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, वॉलेटफ्रॅाड, fake profile, password hack आदि साधारण साइबर अपराधों की विवेचना की जायेगी। साइबर क्राइम टीम में 01 निरीक्षक, 01 उपनिरीक्षक एवं 02 मुख्य आरक्षी/आरक्षी होंगे।

जनपद स्तर पर District Cyber Crime Cell (DCCC)

जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट साईबर क्राइम टीम(DCCC)द्वारा जटिल अपराधों जैसे ई–कामर्स, फेक ट्रिवटरहैण्डिल, लाटरी फ्रॉड, वेबसाइड डिफेसमेंट, डेटा थेफ्ट जैसे अपराधों की विवेचना की जायेगी, जिसमें 02 प्रकार की इकाई होंगी। 1.साइबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन टीम, 2.साइबर क्राइम सर्पोट टीम । जिसमें 01–01 निरीक्षक, 01–01 उपनिरीक्षक व 02–02 मुख्य आरक्षी/आरक्षी होंगे।

जोन स्तर पर जोनल क्राइम सेल (ZCCC)

गम्भीर अपराध जैसे डेटा थेफ्ट, रैंसमवेयर, बिटक्वायन, डार्कवेब, साइबर आतंकवाद, एक्सटार्शन आदि गम्भीर अपराधों की विवेचना की जायेगी। जोन स्तर का मानक भी जनपद की तरह ही होगा, जिसमें साइबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन टीम एवं साइबर क्राइम सर्पोट टीम होंगे।

उपरोक्त व्यवस्था हेतु प्रदेश के जनपदों तथा थानों पर विगत वर्षो में हुए साईबर अपराधों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जनपदों को ए, बी एवं सी श्रेणी में तथा थानों को ए, बी, सी एवं डी श्रेणीयों में विभक्त किया गया है।

कर्तव्य एवं दायित्व–

जोन/जनपद/थाना तीनों स्तरों पर कार्यरत साईबर टीम के कर्तव्य एवं दायित्वों का विवरण निम्नवत् हैः–

थाना स्तर पर नियुक्त साईबर टीम का कार्य एवं दायित्व

- थाना स्तर की साइबर क्राइम टीम(CCT) द्वारा सामान्यतः एटीएम फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्राड, वॉलेटफ्राड, fake profile, password hack आदि साधारण साईबर अपराधों की विवेचना की जायेगी।
- थाने पर नियुक्त साइबर टीम के प्रभारी अधिकारी निरीक्षक होंगे, जिनके निर्देशन में टीम कार्य करेगी।

- थाने पर आने वाले साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को त्वरित कार्यवाही के माध्यम से सहायता प्रदान करना, यथा—एटीएम फ्राड या ऑनलाइन फ्राड की स्थिति में तत्काल आरोपी के खाते/वैलेट को सीज करना। सोशल मीडिया संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करना।
- थाने पर सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के अर्न्तगत पंजीकृत अभियोगों के विवेचकों को तकनीकी सहायता प्रदान करना यथा साक्ष्य संरक्षण, साक्ष्य विश्लेषण एवं साक्ष्य संकलन।
- साइबर अपराध से संबंधित प्राप्त प्रार्थना—पत्र की जांच करना एवं उन पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कराना।

<u>जनपद स्तर पर नियुक्त साइबर सेल का कार्य एवं दायित्व</u>

जनपदीय साइबर सेल के प्रभारी अधिकारी जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक अपराध/पुलिस उपाधीक्षक अपराध होगें, जो जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के अधीन होंगे तथा उनके निर्देशन में कार्य करेंगे।

- जनपद स्तर पर डिस्ट्रिाक्ट साईबर क्राइम सेल (DCCC) द्वारा जटिल अपराधों जैसे ई—कामर्स, फेक ट्विटर हैण्डिल, लाटरी फ्राड, वेबसाइट डिफेसमेंट, डेटा थेफ्ट जैसे अपराधों की विवेचना की जायेगी।
- जनपद स्तर पर नियुक्त साइबर सेल उन अपराधों की विवेचना करेगी, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा आवंटित की जायेगी। यह विवेचनायें जटिल प्रकार की होगी तथा इनका दायरा एक से अधिक जनपदों अथवा पूरे प्रदेश स्तर का होगा, जिसमें उच्च स्तर के तकनीकी ज्ञान एवं अर्न्तजनपदीय समन्वय की आवश्यकता होगी।
- जनपदीय साइबर सेल जनपद के थानों को तकनीकी सहायता भी उपलबध करायेगीं।
- थाना स्तर की साइबर टीम एवं परिक्षेत्र स्तर पर कार्यरत साइबर सेल के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य भी जनपदीय साइबर सेल द्वारा किया जायेगा।

- इनके द्वारा सोशल मीडिया मॉनीटरिंग का कार्य भी किया जायेगा तथा महत्वपूर्ण प्रकरणों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाकर त्वरित कार्यवाही की जायेगी ताकि किसी प्रकार की अफवाह आदि के फैलने से रोका जा सके तथा जनपद की कानून—व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे।
- इनके द्वारा साइबर अपराध के संबंध में समय—समय पर स्कूल, कालेज, बैंक आदि प्रतिष्ठानों पर गोष्ठी आयोजित करके जनजागरूकता अभियान भी चलाया जायेगा, जिससे आम जनता को साईबर अपराध का शिकार बनने से रोका जा सके।

<u>जोन स्तर पर नियुक्त साइबर सेल का कार्य एवं दायित्व</u>

- जोन स्तर पर जोनल साइबर क्राइम सेल (ZCCC) द्वारा गम्भीर अपराध जैसे डेटा थेफ्ट, रैंसमवेयर, बिटक्वायन, डार्कवेब, साईबर आतंकवाद, एक्साटार्शन आदि गम्भीर अपराधों की विवेचना की जायेगी।
- ऐसे अपराध जिनका दायरा संपूर्ण राज्य अथवा अन्तर्राज्यीय स्तर का हो तथा जो अत्यन्त जटिल हों, उनकी विवेचना जोन स्तर पर गठित साइबर सेल द्वारा की जायेगी। यदि कोई प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, तो उसकी सूचना साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ को भी प्रेषित की जायेगी।
- जनपदीय साइबर सेल/थाना स्तर पर गठित साईबर टीम को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करायेगी।
- इनके द्वारा सोशल मीडिया मॉनीटरिंग का कार्य भी किया जायेगा तथा महत्वपूर्ण प्रकरणों को अपर पुलिस महानिरीक्षक, जोन के संज्ञान में लाया जायेगा तथा प्रकरण जिस जनपद से संबंधित है, उस जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाकर त्वरित कार्यवाही करायेगें। यदि कोई प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, तो उसकी सूचना साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ को भी प्रेषित की जायेगी।

- इनके द्वारा साइबर अपराधों के नियंत्रण हेतु जोन के जनपदों को जनजागरूकता अभियान का विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा तथा उसकी मॉनीटरिंग भी की जायेगी। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा अपने स्तर से भी जनजागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।

राज्य स्तरीय साइबर क्राइम सेल(Cyber Crime Cell, UP)

राज्य स्तर पर स्थापित साइबर क्राइम सेल (Cyber Crime Cell, UP) पुलिस महानिरीक्षक, साइबर अपराध के अधीन कार्यरत है। राज्य में स्थापित 02 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के माध्यम से जटिल प्रकार की विवेचनायें तथा शासन द्वारा निर्धारित राशि से अधिक के वित्तीय अपराध की विवेचना की जायेगी, जिसका पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण साइबर क्राइम मुख्यालय द्वारा किया जायेगा। Cyber Crime Cell, UP द्वारा Zonal Cyber Crime Cell) (ZCCC), District Cyber Crime Cell (DCCC) एवं थाना स्तर के CCT द्वारा किये जा रहे महत्वपूर्ण विवेचनाओं की मॉनीटरिंग एवं समीक्षा समानान्तर रूप से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त शासन/पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्देशित कार्य यथा साईबर अपराध से सम्बन्धित नीति, एसओपी, प्रशिक्षण आदि का निर्धारण एवं क्रियान्वयन भी किया जायेगा।

प्रशिक्षण—

साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने तथा उनके अन्वेषण का प्रशिक्षण का कार्यक्रम 03 दिवसीय **(आधारभूत प्रशिक्षण कोर्स/05दिवसीय (एडवांस प्रशिक्षण कोर्स)** जनपद लखनऊ के डायल—100 में गृह मंत्रालय, भारत सरकार की सीसीपीडब्लूसी योजना के तहत निर्मित अत्याधुनिक साइबर प्रशिक्षण लैब में तथा मुरादाबाद स्थित प्रशिक्षण लैब में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त दीर्घकालिक प्रशिक्षण हेतु सरकारी संस्थानों यथा सी0बी0आई0 एवं सरकारी विश्वविद्यालयों में भी भेजा जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार जोन/जनपद/थाना स्तर पर साइबर क्राइम सेल/टीम के प्रथम चरण के गठन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक अवश्य पूर्ण कर ली जाये तथा अपने—अपने जनपदों में एक कार्यशाला आयोजित करके सभी निर्देशों से अधिकारी/कर्मचारियों को अवगत कराते हुए अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

जनपद आजमगढ/थाना महाराजगंज

- **पुलिस कार्यवाही में डेढ़ लाख रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी घायल उपचार के दौरान मृत्यु**
- **01 देशी पिस्टल 32 बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस**
- **01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खाखेा कारतूस**
- **लूट के 51 हजार रू0 नगद आदि बरामद**

जनपद आजमगढ द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 10.10.2019 को जनपद आजमगढ पुलिस व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बनकटा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, जिसमें मुख्य आरक्षी सुरेन्द्र यादव घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में 01 बदमाश घायल हो गया। जिसकी शिनाख्त पुरस्कार घोषित अपराधी लक्ष्मण यादव के रूप में हुई, जिसे गिरफ्तार किया गया। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। उपचार के दौरान चिकित्सकों द्वारा घायल बदमाश लक्ष्मण यादव को मृत घोषित कर दिया गया। मौके से 01 अन्य बदमाश मोटर साइकिल सहित फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 देशी पिस्टल 32 बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, लूट के 51 हजार रू0 नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि मृतक अभियुक्त लक्ष्मण यादव शातिर किस्म का अपराधी तथा थाना महाराजगंज का हिस्ट्रीशीटर था, जिसके विरूद्ध जनपद आजमगढ, अम्बेडकरनगर, संतकबीरनगर, मऊ आदि जनपदों के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, हत्या, गुण्डा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट एवं आर्म्स एक्ट के 38 अभियोग पंजीकृत हैं। मृतक वांछित अभियुक्त पर अयोध्या परिक्षेत्र से 01 लाख रू0 का पुरस्कार एवं आजमगढ परिक्षेत्र से 50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित किया गया था।

इस सम्बन्ध में थाना महाराजगंज पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मृतक बदमाश

1. लक्ष्मण यादव निवासी उल्टहवा देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ।

बरामदगी

1. 01 देशी पिस्टल 32 बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस
2. 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस
3. लूट के 51 हजार रू0 नगद आदि

आपराधिक इतिहास **मृतक** लक्ष्मण यादव

1– मु0अ0सं0.855/10 धारा 307 भादवि थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ ।
2– मु0अ0सं0.858/10/3/25 ए एक्ट भादवि थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ ।
3– मु0अ0सं0.नील/10 धारा 41/411 भादवि थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ ।
4– मु0अ0सं0.1408/10 धारा 392 भादवि थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
5– मु0अ0सं0.602/12 धारा 392 भादवि थाना घोसी जनपद मऊ ।
6– मु0अ0सं0.583/12 धारा 379 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ ।
7– मु0अ0सं0.302/12 धारा 392 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ ।
8–मु0अ0सं0.44/13 धारा 392 भादवि बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
9– मु0अ0सं0.182/13 धारा 307/504 भादवि बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
10– मु0अ0सं0.183/13 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
11– मु0अ0सं0.नील/13 धारा 41/411/419/420/468/467 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
12– मु0अ0सं0.297/12 धारा 392 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ।
13– मु0अ0सं0. 347/12 धारा 392 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ।
14– मु0अ0सं0. 610/12 धारा 392 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ।
15– मु0अ0सं0.42/13 धारा 392 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ।
16– मु0अ0सं0.186/13 धारा 307 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ।
17– मु0अ0सं0.187/13 धारा 3/25 ए एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ।
18– मु0अ0सं0.1308/12 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ ।
19– मु0अ0सं0. 329/13 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ ।
20– मु0अ0सं0.817/12 धारा 356/506 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ ।
21– मु0अ0सं0.391/12 धारा 307/504 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ ।
22– मु0अ0सं0.78/13 धारा 307/504/506 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ ।
23– मु0अ0सं0.79/13 धारा 3/25 ए एक्ट थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ ।
24– मु0अ0सं0.91/13 धारा 392 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ ।
25– मु0अ0सं0.9/16 धारा 302/504/120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ ।
26– मु0अ0सं0.नील/19 धारा 3/4 गुण्डा अधि0 थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ ।
27– मु0अ0सं0.42/13 धारा 392/411 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ ।
28– मु0अ0सं0.132/19 धारा 302/120बी भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ ।
29– मु0अ0सं0. 55/13 धारा 392 भादवि थाना मेहनगर जनपद आजमगढ ।

30– मु0अ0सं0. 85/13 धारा 392 भादवि थाना मेहनगर जनपद आजमगढ ।
31– मु0अ0सं0. 99/19 धारा 307 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ ।
32– मु0अ0सं0. 2/13 धारा 392 भादवि थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
33– मु0अ0सं0. 178/19 धारा 307/302/120बी भादवि थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
34– मु0अ0सं0. 179/19 धारा 307/120बी भादवि थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
35– मु0अ0सं0. 163/19 धारा 392/504 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ।
36– मु0अ0सं0. 423/19 धारा 394 भादवि थाना धनघटा जनपद सन्तकबीर नगर।
37– मु0अ0सं0. नील/13 गुण्डा एक्ट थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर।
38– मु0अ0सं0. 196/13 गैगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

<u>जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर</u>

- **25–25 हजार रू0 के 03 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 10.10.2019 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान देवा तिराहा के पास घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित 03 अपराधी 1.सोनू, 2. रामसुहावन, 3.रामबुझावन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्तगण थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 756/2018 धारा 3(1)यूपी गैगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25–25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. सोनू निवासी ग्राम जुडई पुरवा पोस्ट जिगना बाजार थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
2. रामसुहावन निवासी करौंधी पोस्ट चौहानपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
3. रामबुझावन निवासी करौंधी पोस्ट चौहानपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

जनपद गाजियाबाद/थाना मसूरी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 09.10.2019 की रात्रि थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नाहल पटरी मुरादनगर की तरफ जाने वाले पुल के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी सागर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त मु0अ0सं0 659/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने लूट आदि की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना मसूरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सागर निवासी बिसाडा थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1. 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस
2. 01 मोटर साइकिल

<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना भौराकलां</u>

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 04 खोखा कारतूस**
- **01 मोबाइल फोन व 600 रू0 नगद**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 09.10.2019 की रात्रि थाना भौराकलां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शिकारपुर तिराहा ग्राम भौराकलां पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवारों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से

फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में शातिर अभियुक्त आशू उर्फ आस मोहम्मद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से 01 अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 04 खोखा कारतूस, 01 मोबाइल फोन व 600 रू0 नगद, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ व मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों में लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना भौराकलां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. आशू उर्फ आस मोहम्मद निवासी ग्राम मैना पुठठी थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1. 01 तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 04 खोखा कारतूस
2. 01 मोबाइल फोन व 600 रू0 नगद
3. 01 मोटर साइकिल

जनपद आजमगढ/थाना निजामाबाद

- **08 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 15 मोटर साइकिलें बरामद**

दिनांक 09.10.2019 को थाना निजामाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गन्धुवई नहर पुलिया के पास से 03 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 03 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर दिनांक 10.10.2019 को ग्राम गन्धुवई के कृष्ण कुमार उर्फ झिनक के घर से 05 अन्य वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही पर चोरी की 12 मोटरसाइकिल बरामद हुयी।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि जनपद व आसपास के क्षेत्रों से दो पहिया वाहन चुराकर, उनके नम्बर प्लेट बदलकर, फर्जी कागजात तैयार कर ग्राहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना निजामाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विशाल निवासी ग्राम गन्धुवई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

2—कल्लू उर्फ अनिल ग्राम गन्धुवई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

3—जीशान उर्फ गुड्डू निवासी फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

4—कृष्ण कुमार उर्फ झिनक निवासी ग्राम गन्धुवई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

5—अंगद निवासी ग्राम गन्धुवई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

6—यशवंत निवासी इष्वरपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

7—संजीत राम निवासी बघौराइनामपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

8—अशोक राम निवासी फैजुल्लापुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1— चोरी की 15 मोटर साइकिलें

<u>जनपद फतेहगढ़/थाना फर्रूखाबाद</u>

- **दो अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 तमंचा विभिन्न बोर व कारतूस बरामद**

दिनांक 10.10.2019 को थाना फर्रूखाबाद व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सातनपुर मन्डी के पास से 02 अभियुक्तों 1—कलीम 2—महराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 07 तमंचा 315 बोर, 03 तमंचा 12 बोर व 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

इस संबंध में थाना फर्रूखाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—कलीम खॉ निवासी नसरतपुर थाना कमालगंज जनपद फर्रूखाबाद।

2—महराम निवासी देवधरापुर थाना कमालगंज फर्रूखाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1—07 तमंचा 315 बोर, 03 तमंचा 12 बोर व 02 जीवित कारतूस

———————